संशोधित–1

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्याः– 890/दै0आ0/कोविड–19

दिनांकः– 25-04–2020

–::प्रेस विज्ञप्तिः:–

अति अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–165/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 01–04–2020 के द्वारा नोवल कोरोना वारय (कोविड–19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु जनपद मे संचालित हो रहे अस्थायी आश्रय स्थलों, आम रसोईघरों व अन्य स्थानों पर भी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार भोजन सामग्री/भोजन/फूड पैकेट का वितरण किया जाना है। शासनादेश संख्या–190/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 20–04–2020 व शासनादेश संख्या–258/एक–11–2020 दिनांक 13–04–2020 के द्वारा **"कच्ची खाद्य सामग्री " की दर एवं मानको के कम मे अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जा रही है, जिसकी शर्त निम्नप्रकार है:–**

01– शासनादेश संख्या–190/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 20–04–2020 के द्वारा एक परिवार को एक सप्ताह के उपयोगार्थ कच्ची खाद्य सामग्री का मानक नियत किया गया है जिसमे आटा– 05 कि0ग्रा0, चावल–05 कि0ग्रा0, दाल अरहर/उडद/मूँग/मसूर– 01 कि0ग्रा0, रिफाइन्ड/सरसों का तेल–01 लीटर, नमक– 01 कि0ग्रा0, हल्दी– 200 ग्राम (पैकेट), धनिया–200 ग्राम (पैकेट), लाल मिर्च–200ग्राम (पैकेट) व आलू– 03कि0ग्रा0 है। उपरोक्त उल्लिखित कच्ची खाद्य सामग्री किसी एक पैकेट, गत्ते, बोरे या डिब्बे मे व्यवस्थित कर पात्र व्यक्ति/परिवार को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त खाद्य सामग्री ब्रांडेड होनी चाहिए।

02– उक्त कच्ची खाद्य सामग्री की एक किट की अधिकतम मूल्य 800/– निर्धारित है।

03– शासनादेश संख्या–258/एक–11–2020 दिनांक 13–04–2020 के द्वारा क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने के पश्चात छोडे गये व्यक्तियों को मुक्त करते समय प्रत्येक व्यक्ति को उनके साथ 15 दिन का राशन वितरित किया जाना है जिसमे आटा–10कि0ग्रा0, चावल–10कि0ग्रा0, आलू–05 कि0ग्रा0, भूना चना–02कि0ग्रा0, दाल (अरहर)–02कि.ग्रा0, नमक–500ग्रा0, रिफाइन्ड/सरसो तेल–01ली0, हल्दी–250ग्रा0, मिर्च–250ग्रा0, धनिया–250ग्रा0 है। उपरोक्त उल्लिखित कच्ची खाद्य सामग्री किसी एक पैकेट, गत्ते, बोरे या डिब्बे मे व्यवस्थित कर पात्र व्यक्ति/परिवार को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त खाद्य सामग्री ब्रांडेड होनी चाहिए।

04– उक्त खाद्य सामग्री पैकेजिंग के साथ उपलब्ध करायेंगे। पैकेजिंग मे पॉलिथिन का प्रयोग नही किया जायेगा तथा उच्च गुणवत्ता के एक पैकेट, गत्ते, बोरे या डिब्बे मे व्यवस्थित कर पात्र व्यक्ति/परिवार को उपलब्ध करायी जायेगी।

05– सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर आपूर्ति करना सुनिश्चित करना होगा तथा प्रशासन द्वारा बताये हुये निर्धारित स्थान पर स्वंय के परिवहन व्यय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा।

06– अधोमानक दरो पर डाले गये टेण्डर पर विचार नही किया जायेगा। अधोमानक का तात्पर्य संबंधित खाद्य सामग्री का बाजार मूल्य से कम गणना से है।

07– सशर्त टेण्डर पर विचार नही किया जायेगा।

08– कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। साप्ताहिक भुगतान किया जायेगा।

09– निविदा के लिये निर्धारित धरोहर राशि 50,000/–(पचास हजार रूपये) एफ0डी0आर0/बैंक गारंटी के रूप मे निविदा के साथ जिलाधिकारी के पक्ष मे देनी होगी।

10– वाद की स्थिति मे जिलाधिकारी महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

11– चयनित फर्म/संस्था को समस्त प्रकार के कर/शुल्क का भुगतान स्वंय करना होगा।

उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या–165/एक–10–2020– 33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 01–04–2020, शासनादेश संख्या– संख्या–190/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 20–04–2020 व शासनादेश संख्या–258/एक–11–2020 दिनांक 13–04–2020 मे निर्धारित व्यवस्था के कम मे नियमानुसार **अति अल्पकालीन निविदा दिनांक 27–04–2020 की सांय 05:00 बजे तक** दैवीय आपदा कार्यालय, कलक्ट्रेट, मेरठ मे दैवीय आपदा सहायक को उपलब्ध करायी जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 28–04–2020(मंगलवार) की प्रातः 11:00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ महोदय के कार्यकक्ष मे समिति के समक्ष खोली जायेंगी। संस्थाओं के स्वामी/प्रबन्धक/ प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। नियत तिथि के उपरान्त उपलब्ध कराये जाने वाले निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

24/04/2020

(सुभाष चन्द्र प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जनपद मेरठ